गहराई को भी नियमित किया जा सकता है। इससे प्रति इकाई समय में एक ही बैल की जोड़ी से अधिक क्षेत्र में कार्य हो सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में जो बोझा ढ़ोने वाले पशु उपलब्ध हैं वे सघन खेती में ट्रैक्टर शक्ति की मांग को पूरा नहीं कर सकते। समय और पूरी रफ्तार से कृषि कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए और जो कार्य बैल की जोड़ी द्वारा न किये जा सके उनके लिए ट्रैक्टर आवश्यक हैं और भारतीय कृषि में इनका उपयुक्त स्थान है। औसतन क्षेत्र परिचालन के लिए ट्रैक्टरों की वर्तमान क्षमता प्रति ट्रैक्टर 300 हैक्टर है, जो कि बहुत ही कम है।

Grant for Cyclones and Drought

2277. SHRI AMAL DATTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the case of calamity caused by cyclones, 75 per cent grant is given while in the case of drought it is only 50 per cent ; and

(b) if so, reasons for this distinction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (KUMARI KAMLA KUMARI): (a) and (b) According to the Scheme of Financing Relief Expenditure based on the recommendations of the Seventh Finance Commission, and accepted by the Government of India, non-plan grant to the extent of 75% of the actual expenditure over and above the margin money is given to the State Government in respect of natural calamities like cyclone, floods etc. In the case of drought, relief expenditure in excess of the margin money is sanctioned in the form of advance Plan assistance not exceeding 5% of the Annual Plan outlay of the State concerned. If the expenditure requirements, as assessed by the Central Team and the High Level Committee on relief, cannot be met in a particular case, even after the enlargement of the Plan outlay by 5%, the extra expenditure is to be covered by additional Central assistance not adjustable against the normal allocation of Central assistance for the Plan of the State, and this assistance is given half as grant and half as loan.

सारण जिले (बिहार) में बाढ़ के कारण हुई क्षति

2278. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री ई० बाला नन्दन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और सरयू नदियों में आयी बाढ़ के कारण बिहार के सारण जिले में कितने व्यक्ति मरे और कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(ख) राहत कार्यों पर कितनी धन-राशि खर्च की गई और क्या यह पर्याप्त है ;

(ग) क्या इस जिले के लोगों को समय पर सहायता नहीं मिल सकी ;

(घ) सारण जिले के उन प्रखण्डों के नाम क्या हैं, जिन्हें बाढ़ के कारण भारी हानि हुई और प्रत्येक प्रखण्ड को राहत के रूप में कितनी धन-राशि की सहायता दी गयी, ये सहायता किन-किन तारीखों को दी गयी ;